कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा

पत्रांकः 313/14-1 दिनांक, एटा, अगस्त, 14 ,2017

प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज वन प्रभाग,
कासगंज।

विषय : **एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली मथुरा मार्ग लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा में किमी–0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा कासगंज मार्ग पर किमी–21 से 24.300 तक बरेली–मथुरा मार्ग किमी–145 से 161.50 तक 24.088 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.888 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।**

संदर्भ : भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ के पत्रांक 8B/UP/32/2017 /FC/58 दिनांक 27.06.2017.

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का यूजर ऐजेन्सी एटा द्वारा बिन्दुबार निराकरण लिखित रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है जिसके आधार पर इस प्रभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा हैः–

क्र0सं0	आपत्ति	निराकरण
1	Copy of document in support of the competence/authority of the person to make application on behalf of the User Agency uploaded with the proposal does not contain verified/attested signature of authorised signatory. [at A-3(xvii) part I]	यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा।
2	(a) CD containing kml files for proposed forest land diversion and proposed compensatory afforestation has not been submitted with the proposal. (b) The kml files uploaded with the the part I for proposed forestland diversion are in poly line format which is incorrect and renders kml files not amenable to GIS DSS analysis.	यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा।
3	Copy of cost benefit analysis uploaded at G(i) (a) in part I is not as per guidelines of MoEF&CC.	यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा।
4	(a) The land schedule showing calculations for forest land (uploaded as additional document in part I) does not provide details of PF, RoW etc on both side of the roads. (b) The land schedule for kasganj Division is incorrect. (c) Reasons for variable width requirement have not been provided with land schedule.	अ. संशोधित लैण्ड शिड्यूल पत्र के साथ संलग्न है। ब. यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा। स. यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा।

5	The land schedule uploaded in part II shows negative value of balance width available for plantation along road strip which is erroneous.	इस आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
6	(a) in the CA estimate for social forestry Division, Kashiram Nagar it is mentioned that additional 10% of estimate will be charged from the user agency in future which is incorrect. The CA estimate should include all cost escalation estimated to be paid by user agency once. (b) CA estimates for social Forestry Division, Kasganj is without incorporating cost escalation due to inflation.	अ. इस आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। ब. इस आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है। एटा प्रभाग से सम्बन्धित संशोधित सी0ए0 एस्टीमेट संलग्न कर दिया गया है।
7	Topo sheets attached showing CA locations for Social Forestry Division Etah shows six locations whereas five patches have been taken up for CA.	इस प्रस्ताव हेतु आवश्यक क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आगरा वन प्रभाग में 63.616 हे0 भूमि 6 स्थलों का चयन किया गया है जिसमें 4 स्थल एटा वन प्रभाग व 1 स्थल कासगंज वन प्रभाग हेतु व 1 स्थल (वटेश्वर वन ब्लॉक) दोनों जनपदों हेतु संयुक्त रूप से चयन किया गया है इसी कारण से 6 स्थल टोपो शीट में प्रदर्शित किये गये हैं।
8	As per GIS DSS analysis of proposed CA patches only 64 ha is appropriate for plantation whereas minimum 93.616 ha of degraded forest land is required for compensatory afforestation. Additional CA patches with kml files, site suitability certificate and site specific CA needs submission.	इस आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
9	The proposal is with estimate for additional compensatory afforestation on vacant land on both sides of the road without being specifically recommended by the competent authority of the state government.	इस आपत्ति का निराकरण आपके स्तर से किया जाना है।
10	On many documents of the proposal name & date of the signing authority has not been mentioned and the same needs rectification.	यूजर एजेन्सी द्वारा लिखित रूप में अवगत कराया गया कि इस आपत्ति का निराकरण नोडल अधिकारी अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कासगंज द्वारा किया जायेगा।
11	The proposal is with NPV calculation for proposed forest land falling under Social Forestry Division, Etah	पूर्व में ही प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार संशोधित प्रस्ताव 4 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।

पत्रांकः 313 / उक्तदिनांकित।
प्रतिलिपि- नोडल अधिकारी / मुख्य वन संरक्षक, वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1980, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

पत्रावली-313/14-1 (3)

प्रतिलिपि—नोडल अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग, कासगंज को इस आशय से प्रेषित कि अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0विभाग, एटा के पत्रांक 2479/आई0सी0 दिनांक 11.08.2017 में अंकित आपत्ति संख्या 1, 2, 3, 5, ~~8, 8, 9~~ 10 का निस्तारण कर नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज वन प्रभाग, कासगंज को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(ए0के0कश्यप)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
एटा।